दिनांक 19.05.2021
प्रेस विज्ञप्ति 19/21

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद गोण्डा/थाना कोतवाली नगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध पिस्टल 01 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 19.05.2021 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर माधवपुर चकत्ता के पास से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त भुनेश्वर दत्त सहित अभियुक्त 2–सरवन 3–रंजीत को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त भुनेश्वर दत्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल 01 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त भुनेश्वर दत्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गोण्डा के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 328/2021 धारा 147/148/149/323/504/506/307/188/120बी भादवि व 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भुनेश्वर दत्त निवासी पोर्टरगंज पथवलिया थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

2–सरवन निवासी पोर्टरगंज पथवलिया थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

3–रंजीत निवासी पोर्टरगंज पथवलिया थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध पिस्टल 01 जीवित 01 खोखा कारतूस।

<u>जनपद बस्ती/थाना कलवारी</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 19.05.2021 को थाना कलवारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गौसुपर के पास से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त ऋषिकेश को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कलवारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 73/2021 धारा 147/148/149/395/323/504/332/353/341/186/171 एफ भादवि, 7 सीएलए एक्ट व 136 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कलवारी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–ऋषिकेश निवासी डारीडीहा थाना कलवारी जनपद बस्ती।

<u>जनपद हाथरस/थाना सिकन्द्राराऊ</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **डकैती की घटना का अनावरण**
- **लूटी गयी 03 बेश कीमती मूर्तिया**
- **02 अवैध तमंचा 04 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 18.05.2021 को थाना सिकन्द्राराऊ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना सिकन्द्राराऊ क्षेत्र से पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्तों

1–प्रमोद 2–आशिक उर्फ गुल्ला 3–दीपू 4–जावेद को गिरफ्तार कर डकैती की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गयी 03 अष्टधातु की मूर्तिया, 02 अवैध तमंचा 04 जीवित 01 खोखा कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना सिकन्द्राराऊ क्षेत्रान्तर्गत मन्दिर से अज्ञात बदमाशों द्वारा कारित की गई डकैती की घटना के सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राराऊ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद मूर्तिया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राराऊ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रमोद निवासी लाला का नगला थाना कोतवाली नगर जनपद हाथरस।

2–आशिक उर्फ गुल्ला निवासी बिसाना ओझा वाली रोड गम्भीर पट्टी थाना चंदपा जनपद हाथरस।

3–दीपू निवासी बिसाना मेन रोड थाना चंदपा जनपद हाथरस।

4–जावेद निवासी बिसाना थाना चंदपा जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–लूटी गयी 03 बेश कीमती मूर्तिया।

2–02 अवैध तमंचा 04 जीवित 01 खोखा कारतूस।

<u>जनपद इटावा/थाना बकेवर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 07 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **52 हजार 280 रूपये नगद**
- **07 अवैध तमंचा 315 बोर, 07 जीवित, 07 खोखा कारतूस**
- **01 चार पहिया वाहन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **08 मोबाइल फोन**
- **02 वजन करने वाली मशीन आदि बरामद**

दिनांक 18/19.05.2021 को थाना बकेवर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भरथना ओबर ब्रिज के पास चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही में 07 शातिर अभियुक्तों 1—कैलाश 2—मुकेश 3—हरेन्द्र 4—सर्वेश 5—जितेन्द्र 6—अनिल 7—दीपक उर्फ बाबू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियक्तों के कब्जे से 07 अवैध तमंचा 315 बोर, 07 जीवित, 07 खोखा कारतूस, 01 चार पहिया वाहन, 01 मोटर साइकिल, पीली धातु के 01 बिस्कुट, ठगी के 52 हजार 280 रूपये नगद, 08 मोबाइल फोन, 02 वजन करने वाली मशीन बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद इटावा, एटा, हाथरस, अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, एन0डी0पी0एस0 एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के दो दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त टप्पेबाजी कर नकली सोने का बिस्कुट देने का झांसा देकर लोगो के साथ ठगी करते है तथा जो टप्पेबाजी में नहीं फॅसते है, उनके साथ लूटपाट की घटना कारित करते है।

इस सम्बन्ध में थाना बकेवर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कैलाश निवासी ग्राम निधौली जनपद एटा।

2—मुकेश निवासी ग्राम मन्डी गेट थाना सिटी कोतवाली जनपद एटा।

3—हरेन्द्र निवासी लोडईया थाना अलीगंज जनपद एटा।

4—सर्वेश निवासी शिवमपुरा थाना सिटी कोतवाली जनपद एटा।

5—जितेन्द्र निवासी लोडइया मझोला थाना अलीगंज जनपद एटा।

6—अनिल निवासी निधौली कलां जनपद एटा।

7—दीपक उर्फ बाबू निवासी कछियाना थाना निधौली जनपद एटा।

बरामदगी

1—07 अवैध तमंचा 315 बोर, 07 जीवित, 07 खोखा कारतूस ।

2—01 चार पहिया वाहन।

3—01 मोटर साइकिल।

4—पीली धातु के 01 बिस्कुट।

5—52 हजार 280 रूपये नगद।

6—08 मोबाइल फोन।

7—02 वजन करने वाली मशीन बरामद।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर—39

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **18 लाख 41 हजार रूपये नगद**
- **09 एटीएम कार्ड बरामद**

दिनांक 19.05.2021 को थाना सेक्टर—39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एटीएम फ्रॉड करने वाला अभियुक्त आयुष उर्फ विश्वजीत को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से एटीएम मशीन से फ्रॉड के 18 लाख 41 हजार रूपये नगद, 09 एटीएम कार्ड बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त एटीएम मशीन में रूपये डालने का काम करता है, दिनांक 22.03.2021 को अपने साथियो के साथ मिलकर एटीएम मशीन से फ्रॉड करके कई खातो में रूपये ट्रांसफर करके धोखाधड़ी से निकाल लिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आयुष उर्फ विश्वजीत निवासी मोतीमुहाल थाना हरवशंमुहाल जनपद कानपुर नगर, हालपता खोड़ा थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी

1–18 लाख 41 हजार रूपये नगद।

2–09 एटीएम कार्ड।

जनपद बरेली/थाना मीरगंज

- **04 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 19.05.2021 को थाना मीरगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर परौरा हाईवे रोड तिराहे से चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1–विकास 2–परवेन्द्र 3–राहुल 4–दिनेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जो वाहनो को चोरी कर उनकी नम्बर प्लेट बदलकर सस्ते दामो पर बेंच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना मीरगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विकास निवासी गुनाह हट्टू थाना देवरनिया जनपद बरेली।

2—परवेन्द्र निवासी कंजाधाम पट्टी थाना जहानाबाद जनपद पीलीभीत।

3—राहुल निवासी जाम वरगवां थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।

4—दिनेश निवासी जाम वरगवां थाना शीशगढ़ जनपद बरेली।

बरामदगी

1—चोरी की 11 मोटर साइकिल।

जनपद बरेली/थाना सुभाषनगर

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **24 हजार लीटर फेस माल्टा स्प्रिट मय टैंकर**
- **01 चार पहिया ईको वाहन**
- **04 हजार 870 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 18.05.2021 को थाना सुभाषनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जेल के पीछे से 07 अभियुक्तों 1—मिथुन 2—सुशील 3—लालमन 4—श्यामबिहारी 5—दाताराम 6—राजू 7—नरेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 24 हजार लीटर फेस माल्टा स्प्रिट मय टैंकर, 01 चार पहिया ईको वाहन, 04 हजार 870 रूपये नगद बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सुभाषनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मिथुन निवासी पूठखास रोहटा रोड थाना रोहटा जनपद मेरठ।

2—सुशील निवासी बी0डी0ए0कालोनी थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।

3—लालमन निवासी धनैली पूर्वी थाना कोतवाली मिलक जनपद रामपुर।

4—श्यामबिहारी निवासी अहरोला थाना भुता जनपद बरेली।

5—दाताराम निवासी दुगला गोटिया थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

6—राजू निवासी अलेहा टाडा थाना हाफिजगंज जनपद बरेली।

7—नरेश निवासी टिसिया थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली।

बरामदगी

1— 24 हजार लीटर फ्रेस माल्टा स्प्रिट मय टैंकर।
2— 01 चार पहिया ईको वाहन।
3— 04 हजार 870 रूपये नगद।

जनपद अलीगढ़/थाना अकराबाद

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 35 लाख रूपये कीमत के 03 कुन्तल 38 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 ट्रक बरामद**

दिनांक 19.05.2021 को थाना अकराबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम लधौआ बिजली घर के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1—सोमवरी 2—भुवनेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लगभग 35 लाख रूपये कीमत के 03 कुन्तल 38 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 ट्रक बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना अकराबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सोमवीर निवासी करतला थाना वागवाला जनपद एटा।

2–भुवनेश निवासी सबलीपुर थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–लगभग 35 लाख रूपये कीमत के 03 कुन्तल 38 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–01 ट्रक।

जनपद अलीगढ़/थाना खैर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 18.05.2021 को थाना खैर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गल्ला मण्डी के पास से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दिनेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अलीगढ़ के विभिन्न थानो में हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खैर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 19/2021 धारा 147/148/149/302/506 भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना खैर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिनेश निवासी बाजौता थाना टप्पल अलीगढ़, हालपता मो0 शिवधाम कालोनी खैर बाईपास रोड थाना देहलीगेट जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

01 अवैध तमंचा 315 बोर 02 जीवित कारतूस बरामद।

एस0टी0एफ उ0प्र0 द्वारा कोवडि 19 में लाइफ सपोर्ट हेतु आवश्यक 40 आक्सीजन गैस सिलेंडरों को ऊॅचे दामों पर तस्करी करते हुए 02 नफर अभियुक्त राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनाकः 19—05—2021 को एस0टी0एफ उ0प्र0 द्वारा कोवडि—19 महामारी में लाइफ सपोर्ट हेतु आवश्यक 40 आक्सीजन गैस सिलेंडरों को ऊॅचे दामों पर तस्करी करते हुए 02 नफर अभियुक्तों को राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः—

1— विनय यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी ग्राम सुल्तानपुर, 60 फिटा रोड़, थाना जानकीपुरम, जनपद लखनऊ।

2— रवी यादव पुत्र कमलेश यादव निवासी ग्राम सुल्तानपुर, 60 फिटा रोड़, थाना जानकीपुरम, जनपद लखनऊ।

बरामदगीः—

1— 40 अदद आक्सीजन सिलेंडर (37 अदद जम्बो व 3 अदद वी टाइप) (कोवडि 19 में लाइफ सपोर्ट हेतु आवश्यक)

2— 02 अदद मोबाइल फोन,

3— 02 अदद कूटरचित दस्तावेज,

4— 800/— रू0 नगद,

5— 01 अदद टाटा ऐस (आक्सीजन सिलेंडरों कालाबाजारी में परिवहन हेतु प्रयुक्त)

गिरफ्तारी का स्थान, दिनॉक व समयः—

स्थान ग्राम सुल्तानपुर, 60 फिटा रोड़, थाना जानकीपुरम, जनपद लखनऊ दिनांक 19—05—2021, समयः 02:50 बजे सुबह।

विगत काफी दिनों से कोविड—19 महामरी के चलते जीवन रक्षक औषधियों एवं गैस की किल्लत के चलते कालाबाजारी के सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को सूचनाऐं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ उ0प्र0 को सूचना विकसित कर अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में एस0टी0एफ0 मुख्यालय की साइबर क्राइम टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से ज्ञात हुआ कि विनय यादव व रवी यादव (यदुवंशी गैस एजेन्सी) द्वारा कोविड–19 महामारी में लाइफ सपोर्ट हेतु आवश्यक आक्सीजन गैस सिलेंडरों को उॅचे दामों पर बेचा जा रहा है। आज यह बाराबंकी के जय सांई आक्सीजन प्लान्ट से आक्सीजन गैस सिलेंडरों को भरा कर ला रहे हैं व अपने घर से उॅचे दामों पर बिक्री करेंगे। इस सूचना पर उप निरीक्षक पंकज सिंह मय टीम मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुॅचे जहॉ कुछ ही देर में 02 व्यक्ति लोडर से गैस सिलेंडर लाद कर लाये व अपने घर में उतार कर रखने लगे। जिनकी तरफ इशारा करते हुये मुखबिर ने बताया कि यह वही लोग हैं। इस पर एसटीएफ टीम द्वारा उन दोनों व्यक्तियों से आक्सीजन सिलेंडरों के बारे में पूछताछ की गयी तो व तलाशी ली गयी तो उनके पास से मेडिसिन हास्पिटल का एक 30 सिलेंडरों का मांग पत्र मिला व 40 आक्सीजन सिलेंडर बरामद हुये।

पूछताछ पर पकड़े गये विनय यादव उपरोक्त ने बताया कि वर्ष 2015 से मेरे नाम मेडिकल गैस ऐजेन्सी का लाइसेन्स है। हम लोग लखनऊ के कई अस्पतालों में आक्सीजन गैस की सप्लाई करते है। जिस कारण अस्पताल के स्टाफ के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे है। कोविड–19 के कारण वर्तमान समय में आक्सीजन गैस की किल्लत चल रही है, जिस कारण आक्सीजन गैस सिलेंडर खरीदने वाले व्यक्ति ऊॅचे दाम देने को तैयार हो जाते हैं। हम लोग विभिन्न अस्पतालों के लेटर पैड पर फर्जी मॉग पत्र बनवाकर आक्सीजन प्लान्ट से सिलेंडर रिफिल करा लेते है। फिर इन सिलेंडरों को ऊॅचे दामों पर बेंचते है। आज 30 सिलेंडरों का मांग पत्र मेडिसिन हास्पिटल के नाम से बनवाकर जय सांई गैस रिफिलिंग सेन्टर बाराबंकी से 24 गैस सिलेंडर रिफिल कराकर लाये थे। कुछ सिलेंडर पहले से ही बुक किये गये लोगों को दे दिया। बाकी बचे सिलेंडर घर पर छिपाकर रख रहे थे कि आज आप लोगों ने पकड़ लिया।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना जानकीपुरम जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0 146/2021 धारा 188/420/467/468/471 भादवि धारा 18(1)/27 औषधि प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, धारा 52/53 आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 3(a1) महामारी अधिनियम पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया। अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———